

फर्द अहकाम

बनाम

प्रस्तावना भाग

पृष्ठ संख्या

ल्य

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
18.6.18	<p>पत्रावली के माध्यम से न्यायिक अधिकार माना जाता है। पत्रावली का लोक सुदाल की भाषण से अवलोकन किया गया। कि आदिवासी तक तकली नहीं हुई है। अतः वाद को C.P.C की धारा 09R5 के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली के माध्यम से न्यायिक अधिकार का न्यायिक अधिकार कम हो। वाद पूर्णतः खारिज है।</p>	
	<p>उपर्युक्त अधिकारी जयवाराभगठ</p>	